

प्रेस नोट -दिनांक 09/11/2023

- अपराधियों एवं तस्करों पर लगातार चल रहा चन्दौली पुलिस का चाबुक
- चन्दौली पुलिस की लगातार कार्रवाई से अवैध शराब, मादक पदार्थ एवं पशु तस्करों की टूट रही कमर
- कोतवाली चन्दौली और स्वाट एवं सर्विलांस टीम द्वारा प्राप्त अभिसूचना के आधार पर संयुक्त रूप से 03 अवैध शराब तस्कर गिरफ्तार
- गिरफ्तार तस्करों के पास से 57 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब/बीयर (कुल 543 ली0) बरामद
- बरामद अवैध शराब एवं बीयर की अनुमानित कीमत 09 लाख रुपए से अधिक (बिक्री पर)
- हरियाणा प्रांत से तस्करी कर 02 स्कार्पियो गाड़ी में छुपाकर बिहार प्रांत को बिक्री हेतु ले जा रहे थे गिरफ्तार तस्कर
- शारदा हास्पिटल के पास से पुलिस टीम को गिरफ्तारी एवं बरामदगी में मिली सफलता

पुलिस अधीक्षक चन्दौली महोदय के निर्देशानुसार जनपद मे शराब तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे दिनांक 8/11/2023 को अपर पुलिस अधीक्षक सदर श्री विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामवीर सिंह के निर्देशन मे प्रभारी निरीक्षक चन्दौली व स्वाट सर्विलांस टीम द्वारा मुखवीर की सूचना पर शारदा हास्पिटल के पास चार पहिया वाहन संख्या क्रमशः JH12K0303, JH01BV1793 से तीन नफर अभियुक्त निरंजन कुमार सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बढैल थाना रोह जिला नेवादा बिहार उम्र करीब 26 वर्ष । दीपक कुमार सिंह पुत्र अरून कुमार सिंह निवासी इन्द्रपुरी कालोनी थाना पाटलीपुत्र जिला पटना बिहार उम्र करीब 33 वर्ष । विमलेश कुमार यादव पुत्र महेन्द्र प्रसाद यादव निवासी ग्राम जयप्रकाश नगर थाना राजीव नगर पटना बिहार उम्र 22 वर्ष । के पास से 47 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब व 10 पेटी टूवर्ग वियर के साथ गिरफ्तार कर मु0अ0स0 305/2023 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछ-ताछ का विवरण:- अभियुक्तगण से पूछ-ताछ पर बता रहे है कि साहब हम लोग ये शराब हरियाणा से लाते है एवं उक्त शराब बिहार मे बन्दी होने के कारण बिहार मे उँचे दामो पर बेचते है । आज जो आपलोगो ने हमारी शराब पकडी है उससे हम लोग अच्छा खासा मुनाफा कमाते तथा आपस मे बाट लेते ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-निरंजन कुमार सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बढैल थाना रोह जिला नेवादा बिहार उम्र करीब 26 वर्ष ।

2- दीपक कुमार सिंह पुत्र अरून कुमार सिंह निवासी इन्द्रपुरी कालोनी थाना पाटलीपुत्र जिला पटना बिहार उम्र करीब 33 वर्ष ।

3- विमलेश कुमार यादव पुत्र महेन्द्र प्रसाद यादव निवासी ग्राम जयप्रकाश नगर थाना राजीव नगर पटना बिहार उम्र 22 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

1-10 पेटी बियर प्रत्येक मे कुल 24 केन प्रत्येक केन मे 500एमएल कुल 120 ली0

2-19 पेटी रायल स्टैग प्राइमर प्रत्येक पेटी मे 12 प्रत्येक बोतल 750एमएल कुल 171 ली0

3-18 पेटी रायल स्टैग बैरल सलेक्ट प्रत्येक मे 12 बोतल प्रत्येक 750 एमएल कुल 162 ली0

4-10 पेटी इम्पीरियल ब्लू प्रत्येक मे 12 बोतल प्रत्येक मे 750 एमएल कुल 90 लीटर

5- दो अदद चार पहिया वाहन स्कार्पियो क्रमशः JH12K0303, JH01BV1793

कुल अवैध अग्रेजी शराब /बियर 543 लीटर ।

टीम का विवरण -

1- प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह थाना चन्दौली ।

2- सर्विलांस प्रभारी श्री श्याम जी यादव । (मय टीम)

3- स्वाट प्रभारी श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह । (मय टीम)

4- उ0नि0 श्री सूरज सिंह थाना चन्दौली ।

5- उ0नि0 श्री अमित कुमार मिश्रा ।

6- उ0नि0 श्री रावेन्द्र सिंह ।

7- का0 विजय कुमार ।

8- का0 शब्बीर अहमद ।